पेज 1 का शेष भाग

नगर निगम चुनाव लेकिन नगर उदासीन

जाहिर है, जनता के सामने यह विकल्प खुला हुआ है कि वह उन्हें फिर पार्षद बनने का अवसर दे अथवा नहीं दे। एक पार्षद का यह दायित्व होता है कि वह अपने वार्ड में विकास कार्यों को पूरा करवाये और पानी, सीवर, सड़क, गली, साफ़-सफ़ाई आदि समस्याओं का निदान करवाये। अगर पार्षद ईमानदार एवं कार्यकुशल होगा तो वह अपने वार्ड में इन सारी समस्याओं का उचित समाधान करवायेगा, लेकिन अगर वह भ्रष्ट, बेईमान और अक्षम होगा तो विकास के लिए जो योजनायें पास होती हैं, जो कार्य होते हैं और फिर इनमें जैसी लूट मचती है, उसमें हिस्सेदार होगा।

नगर निगम एक ऐसा विभाग है जिस पर शहर के विकास और नागरिक सुविधायें सुलभ कराने की जिम्मेदारी है। पर अब तक नगर निगम कैसा विकास कराता रहा है और उसने किस हद तक नागरिक सुविधाओं को बहाल किया है या उन्हें बढ़ाया है, इसके बारे में सब जानते हैं। नगर निगम जनता के धन की लूट और हरामखोरी का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। तमाम तरह के टैक्स लगाने और सरकारी सहायता पाने व कर्ज लेने के बावजूद इसके पास धन का अभाव बराबर बना रहता है। स्थिति ऐसी आ जाती है कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं रहता। यहां सवाल यह उठता है कि विभिन्न विकास योजनाओं की मद में इतना जो धन आता है, वह जाता कहां है? स्पष्ट है कि विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के नाम पर धन की बंदरबांट होती है और इसमें निगम अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ पार्षद भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। पार्षद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर ये ईमानदार एवं कर्त्तव्यनिष्ठ हों तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि निगम अधिकारी लूट मचा सकें। पर हकीकत क्या है, इसे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है।

आज लगभग सभी वार्डों में जनता मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। अन्य विकास कार्यों की तो छोड़ें, नगर निगम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तथा जल-मल की निकासी जैसा न्यूनतम कार्य कर पाने में भी अक्षम बना हुआ है। उसकी इस अक्षमता का लाभ उठा कर शहर में पानी का अवैध व्यापार खूब फल-फूल रहा है। जिसे देखो वही पानी के कारोबार में लगा हुआ है।

शहर के बाहर और भीतर न जाने कितने अवैध पंप लगे हुए हैं जो ज़्यादातर प्रभावशाली और राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोगों के हैं। अगर एक पेयजल की समस्या का समाधान नगर निगम कर दे तो जनता का बड़ा कल्याण हो सकता है। पर नगर निगम ऐसा कर पाने में अब तक अपने आप को अक्षम साबित करता रहा है। जाहिर है, पार्षदों का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह सीवर, सड़क और गलियों की समस्यायें हैं। इस शहर की यह खसियत है थोड़ी बरसात होते ही अधिकांश स्थानों पर सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है और लोगों को सीवर और नालों की गंदगी से युक्त उस पानी में घुटनों भर तक चल कर आना-जाना पड़ता है। यह एक स्थाई समस्या बन चुका है, पर निगम अधिकारियों की तो छोड़ें, पार्षद भी इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते। आखिर क्यों समझें? पार्षद कोई पैदल-पांव तो चलते नहीं, वे बड़ी-बड़ी कारों में सफर करते हैं, फिर उन्हें जनता की इस समस्या से क्यों मतलब हो? जाके पांव न फटे बिवाई सो का जाने पीर पराई। पार्षदों के लिए यही उक्ति चरितार्थ होती है।

आवारा पशुओं से भी शहर का बुरा हाल है। जगह-जगह गलियों में और मुख्य सड़कों पर सांड खड़े होते हैं जो सड़क दुर्घटनाओं के साथ जनता की जान के लिए बड़ा ख़तरा साबित होते हैं। यही हाल आवारा कुत्तों का हैं जो लगभग रोज ही गलियों में खेल रहे छोटे बच्चों को काट खाते हैं। पर पार्षदों के लिए यह कोई समस्या है ही नहीं। कभी भी किसी पार्षद ने इस अहम् समस्या को निगम में नहीं उठाया और न ही इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास किया। वे तो बस उन्हीं बातों में रुचि लेते हैं जहां तगड़ा माल खाने का प्रबंध हो। जनता की सुविधा-असुविधा जाये भाड़ में।

यही हाल सड़कों के निर्माण का है। हर साल सड़क बनती है और साल भर में ही टूट जाती है फिर दुबारा बनने अथवा पैच वर्क होने के लिए। आखिर यह किस तरह का निर्माण है? जाहिर है, यह वह क्षेत्र है जहां अवैध कमाई का अच्छा-खासा जुगाड़ है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण भी निगम अधिकारियों के साथ-साथ पार्षदों की कमाई के अच्छे स्रोत हैं। इनके अलावा भी कमाई के छोटे-मोटे स्रोत न जाने कितने उग जाते हैं। बहरहाल, 20 मई को जनता पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान करने जा रही है, पर स्थिति यही है कि वह चुने तो किसे चुने? अधिकांश उम्मीदवार ही ऐसे हैं जो कोई उम्मीद नहीं जगाते। पर जनता को तो किसी न किसी को चुनना ही है।

इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पर सीधे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। पर इसके अलावा जितने भी उम्मीदवार हैं, सबकी कोई न कोई पार्टी और राजनीतिक पृष्ठभूमि है ही। आज राजनीतिक पार्टियों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। सभी जनहित के लिए नहीं, बल्कि अपने हितों को साधने के लिए उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारती हैं। इनमें हर तरह के समाजविरोधी तत्व भी शामिल होते हैं। राजनीति में साफ़-सुथरे चरित्र वाले सेवाभावी लोगों का एक तरह से अकाल हो गया है। वर्तमान व्यवस्था जो आम जनता की लूट, शोषण और दमन पर पूरी तरह आधारित है, उसमें ग्राम पंचायतें हों या नगर निगम अथवा संसद, हर जगह जनप्रतिनिधियों के नाम पर ऐसे लोगों का जमावड़ा लगता जा रहा है, जो लूट और अंधेरगर्दी मचाने में सबसे आगे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर जनता ग़लत लोगों की जगह अच्छे लोगों को जनप्रतिनिधि चुन कर भेजे तो उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पर जनता क्या करे, अच्छा समझ कर जिसे भी वोट देती है, वर्तमान व्यवस्था में वह बिका हुआ नज़र आने लगता है। सवाल लोगों के अच्छे और बुरे होने का नहीं है, सवाल तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था का है। बुरी व्यवस्था अच्छे लोगों को भी जनता की भलाई का काम नहीं करने देती है और धीरे-धीरे उनका भी इस व्यवस्था से मोहभंग होने लगता है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार और काम करने वाले हों तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है। आज राजनीति से बड़ा व्यवसाय और कोई नहीं रह गया है। यहां न तो पूंजी लगानी पड़ती है, न मेहनत करनी पड़ती है और न रिस्क लेना पड़ता है। इस व्यवसाय में तो बस चारो तरफ से काला पैसा बहता चला आता है। यह बात नगर निगम चुनाव के लिए भी सच है।

ईएसआई में श्रमिकों की दुर्दशा : श्रममंत्री अपने धंधों में मस्त

जाहिर है, यह खर्चा व जोखिम ईएसआई में होने वाली दुर्गति से बचने के लिए ही उठाने को मजबूर होता है। दूसरी ओर, ईएसआई में घटती मरीज़ों की संख्या से प्रशासन अपनी पीठ ठोकता हुआ कहता है कि उसकी स्वास्थ्य सेवायें इतनी बढ़िया हैं कि अव्वल तो श्रमिक बीमार होते ही नहीं और जो होते भी हैं वे तुरंत ठीक कर दिये जाते हैं। इस फ़ार्मूले के अनुसार जब डॉक्टरों की संख्या घटते-घटते एक दिन शून्य हो जायेगी और एक भी मरीज़ जब ईएसआई में नहीं आयेगा तो सरकार ताल ठोक कर कह सकेगी कि अब कोई श्रमिक बीमार नहीं रहा। ईएसआई स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य सरकार पहले स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाती थी, लेकिन श्रमिकों की बेहतर सेवा के नाम पर अब इसे श्रम विभाग के हवाले कर रखा है। विदित है कि राज्य भर में श्रमिकों की बड़ी संख्या फ़रीदाबाद में है, जिसे देखते हुए यहां ईएसआई के दो हस्पताल व 9 डिस्पेंसरियां हैं, लेकिन दो लाख श्रमिकों की भारी-भरकम संख्या के सामने, इन हस्पतालों में नियुक्त डॉक्टर व स्टॉफ़ कुछ भी बेहतर कर पाने में असमर्थ हैं। इसी शहर के एक विधायक के श्रम मंत्री बनने से श्रमिकों को आशा की एक किरण-सी नज़र आई थी कि शायद मंत्री महोदय को श्रमिकों की दुर्दशा पर कुछ रहम आ जाये और स्थिति में कुछ सुधार हो जाये, लेकिन यह आशा पूर्णतया ग़लत साबित हुई, क्योंकि मंत्री जी को अपने ही धंधों से फुर्सत नहीं तो श्रमिकों के लिए कहां से समय निकालें?

लाखों-करोड़ों खर्च कर के पार्षद बनना क्यों चाहते हैं?

निगम अधिकारी प्रस्ताव बना लाते हैं और ये केवल उन पर अपने अंगूठे मात्र लगा कर धन्य हो जाते हैं। नगर निगम 'स्थानीय स्वशासन' यानी कि नगर निवासियों द्वारा अपना शासन खुद करने के लिए बनाया गया है, न कि पहले की तरह (निगम बनने से पूर्व) जब शासन चलाने के लिए अफ़सरशाह नियुक्त होते थे। कानूनन निगम आयुक्त की स्थिति राज्य के मुख्य सचिव, मेयर की स्थिति राज्य के मुख्यमंत्री तथा पार्षदों की स्थिति विधायकों जैसी होती है। जिस प्रकार राज्य के लिए विधायक एवं मुख्यमंत्री अफ़सरशाही के माध्यम से शासन चलाते हैं, उसी तरह से पार्षदों एवं मेयर को कमिश्नर के माध्यम से स्थानीय स्वशासन (नगर निगम के कामकाज) को चलाना चाहिए। विदित है कि पार्षदों एवं मेयर की मर्जी के खिलाफ़ कोई भी निगम आयुक्त एक क्षण भी अपने पद पर नहीं रह सकता जैसे कि कोई अफ़सरशाह मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध अपने पद पर नहीं रह सकता। लेकिन यहां के पार्षद पूर्णतया निगम आयुक्त के रहमोंकरम पर निर्भर रहते हैं। निगम आयुक्त और पार्षदों का रिश्ता कुछ ऐसा लगता है जैसा स्कूल के हेड मास्टर एवं उसमें पढ़ने वाले बच्चों का हो जो दिन भर अपने बच्चों को हड़काता रहता है।

शहर की जनता पर किस मद में कितना टैक्स लगेगा या हटेगा अथवा कोई टैक्स बढ़ेगा या घटेगा, इसका निर्णय करने का कानूनन अधिकार केवल और केवल जनता द्वारा निर्वाचित पार्षदों का है। जनता द्वारा वसूले गये टैक्सों का प्रयोग एवं खर्च करने का भी पूर्ण अधिकार कानून ने इन्हीं पार्षदों को दिया है।

संवैधानिक तौर पर राज्य सरकार अथवा उसका कोई अफ़सरशाह स्वत: न तो किसी टैक्स को लगाने अथवा हटाने का फैसला ले सकता है और न ही उसे खर्च करने को स्वतंत्र है। इन दोनों कामों के लिए पार्षदों की स्वीकृति अनिवार्य है जबकि नगर निगम बनने से पूर्व राज्य सरकार एवं उसके अफ़सरशाह इन सब कामों के लिए पूर्णतया स्वतंत्र थे। लेकिन दुर्भाग्य इस नगर एवं इसकी जनता का कि इन पार्षदों को कोई भी यह पूछने की जरूरत नहीं समझता कि हाऊस टैक्स या कोई अन्य टैक्स लगाया जाय या न लगाया जाये, न ही कोई इनसे यह पूछने की जरूरत समझता है कि जनता से वसूले गये टैक्स को किस प्रकार से और कहां पर खर्च किया जाना चाहिए। ये बेचारे पार्षद तो इसी में फूल कर कुप्पा हो जाते हैं कि निगम आयुक्त द्वारा बनाये गये सभी प्रस्तावों पर उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं।

डॉक्टर से बने थानेदार की डकैतियां जारी

30 अप्रैल को भी सुनील ने परचून से भरा एक ट्रक पकड़ा था, गदपुरी के आस-पास से। इस ट्रक को पांच लुटेरों ने हथियारों के बल पर लूटा था। इनके पास एक देसी कट्टा व एक के पास विदेशी रिवाल्वर था। ट्रक चौकी में लाया गया। तुरंत ट्रक मालिक को फ़ोन कर के दिल्ली से बुला लिया गया। ट्रक मालिकों को सही-सलामत लौटाने के बदले में थानेदार सुनील ने 5 लाख मांगे, लेकिन सौदा 50,000 में निपट गया। ट्रक में से दो पेटी बढ़िया वीआईपी जूतों की उतार ली वह अलग से। जानकार तो यह भी बताते हैं कि ट्रक मालिकान ने हरियाणा पुलिस के एक बड़े अधिकारी से भी सिफ़ारिश करवाई थी, शायद इसलिए 5 लाख की बजाये 50,000 में बात बन गई।

ट्रक तो छोड़ दिया, अब बारी थी पांच लुटेरों की। इनमें से एक खालिद पुत्र मोहम्मद खां निवासी पीपलू भरतपुर के विरुद्ध छ: दिन बाद मात्र देसी कट्टा रखने के जुर्म में शस्त्र अधिनियम के तहत थाना सदर में मुकदमा नं.101, अपने एक मातहत हवलदार विरेन्द्र सिंह द्वारा दर्ज करा दिया ताकि कल को फंसने की नौबत आये तो हवलदार ही फंसे। शेष बचे चारों को मोटी रकम ले कर थानेदार ने छोड़ दिया। उनसे बरामद बढ़िया विदेशी रिवाल्वर को भी पी गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खालिद अभी नीमका जेल में ही है और डीसीपी बल्लबगढ़ रिसाल सिंह उससे पूछताछ कर रहे हैं। इन्हीं दिनों में इस थानेदार ने गांव बड़खल से भड़ाना नामक एक मेव लड़के को वाहन चोरी के सिलसिले में पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर उससे चार ट्रक खरीदने वाले आगरा निवासी किसी यादव को पकड़ा। दोनों को छ: दिन अपनी नाजायज़ हिरासत में रख कर छोड़ दिया। यह पता नहीं चल पाया कि इनसे इस थानेदार ने कितने वसूले। इसी तरह गुराक्षर से शहाबुद्दीन, जो कलकत्ता ब्याह रखा है तथा वहां के वाहन चोर गिरोह से पूरा तालमेल रखता है, को भी इन्हीं दिनों इसने छ: दिन तक अपनी हिरासत में रख कर छोड़ दिया। न कोई मुकदमा दर्ज, न कोई बरामदगी।

मेवात के शातिर अपराधियों से विचार-विमर्श तथा लेन-देन के लिए इस थानेदार ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पुन्हाना स्थित इसलामुद्दीन की कोठी पर बैठक की। इस मीटिंग के लिए इसके साथ जाने वाला एकमात्र सिपाही (ड्राइवर) शम्सूदीन था। इस बैठक में साधारण अपराधियों के अलावा खास अपराधी थे-जाकिर पुत्र निजरा निवासी उटावड़, मुस्ताख पुत्र जानू, शाहिद पुत्र रूजमल, हबीब व हारूण भी थे। विदित है कि शाहिद व हबीब थाना सेक्टर 31 में आईपीसी की धारा 307, 332, 353, 467, 468, 471 व गौकशी अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर नं. 185/08 में घोषित भगोड़ा अपराधी हैं। गौ मांस से भरी गाड़ी ले कर भागने के प्रयास में पुलिस पर फ़ायरिंग करने आदि के जुर्म में दर्ज इस मुकदमें में हारूण भी मुज़रिम था। हारूण तो पकड़ में आ गया था जबकि शाहिद व हबीब फ़रार चल रहे हैं। विश्वस्त जानकार बताते हैं कि मीटिंग के बाद यह थानेदार शाहिद को अपनी गाड़ी में पलवल तक लाया, जहां उससे दो जोड़े बढ़िया जूते, जिनकी कीमत 1800 रुपये प्रति जोड़ा थी तथा 2 ट्रैक सूट भी खरीदवा कर लिये। इसके अलावा 21000 रुपये नकद भी वसूल पाये। इन्हीं दिनों में इसने अफ़ीम गिरोह के चार लोग़ों को पकड़ा। इनमें से तीन को 50-50 हज़ार लेकर छोड़ दिया। लेकिन चौथे व्यक्ति एवं गिरोह के सरगना, जो फतेहपुर बिल्लौच निवासी है, से पांच लाख की मांग की। सौदेबाज़ी में ज़्यादा समय खिंच जाने के चलते बात ज़िले के पुलिस आयुक्त तक भी जा पहुंची तो इसे चौथे मुज़रिम की गिरफ़्तारी डालनी पड़ी। लेकिन इसमें भी हेरा-फेरी यह कर दी कि पकड़ी गई अफ़ीम की मात्रा बहुत ही कम कर के दिखाई और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि बरामद दिखाई गई इस अफ़ीम का सैंपल पास होगा या फ़ेल।

इस थानेदार द्वारा किये गये उक्त कारनामों के अलावा आये दिन छोटी-मोटी वारदात करना तो मामूली बात है। शहर का शायद ही कोई कबाड़ी ऐसा हो जिससे यह नियमित वसूली न करता हो। इन्हीं दिनों गुडइयर के सामने सेक्टर-6 में स्थित एक कबाड़ी से पूरे एक लाख की वसूली की है।

पुलिस जैसे सख्त अनुशासित महकमे में यह कदापि संभव नहीं कि कोई भी मुलाजिम उच्चाधिकारियों की मर्ज़ी के बिना दायें से बायें भी झांक ले, लूट और डकैतियां मारना तो बहुत दूर की बात है। पिछली बार इसी संबंध में समाचार प्रकाशित किये जाने को लेकर पुलिस आयुक्त महोदय ने यह कह कर रोष प्रकट किया था कि उस ख़बर में उनका पक्ष नहीं छापा गया है। उनका पक्ष पूछने पर उन्होंने कहा कि उस थानेदार के विरुद्ध डीसीपी बल्लबगढ़ रिसाल सिंह को जांच करने के आदेश दिये गये हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह कैसी जांच चल रही है, जिसके चलते भी उसकी डकैतियों पर ज़रा भी अंकुश नहीं लग पाया। हालात को देखने से लगता है कि इस थानेदार की पीठ पर पुलिस कमिश्नर से भी बड़ी किसी ताकत का हाथ है जो वह इतना बेधड़क हो कर खुला चर रहा है।

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक समाचार पत्र

फरीदाबाद के पाठकों के लिए मजदूर मोर्चा अब हॉकरों के माध्यम से उपलब्ध है। जो भी हॉकर आपके यहां अखबार देने आता है, वह मांगने पर मज़दूर मोर्चा अवश्य देगा। डाक से अखबार पहुंचे या नहीं, इसका कोई ठिकाना न होने के कारण हमने यह नई व्यवस्था की है। अखबार मिलने में किसी तरह की समस्या होने पर हमारे प्रसार प्रबंधक से निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें :

दीक्षित न्यूज एजेंसी

9811159238

अब बल्लभगढ़ व पलवल के पाठक भी अपने हॉकर से मजदूर मोर्चा प्राप्त कर सकते हैं। किसी कठिनाई की स्थिति में संपर्क करें :

भूटानी न्यूज़ एजेंसी

मीनार गेट, पलवल। मोब.: 09354112741, 09728382049